विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय बुधवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
4(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में मिट्टी निकालने वाले और ट्रैक्टर ट्राली या समतली करने हेतु खुदाई करने वाले मिट्टी लोडरो को प्रशासन द्वारा कितने का चालान किया गया और कितनी धनराशि की वसूली की गई है?	शासनादेश संख्या-1542/86-2020-153 (सा०)/2017 दिनांक 18.09.2020 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र न लिये जाने पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-72 में निहित व्यवस्थान्तर्गत अवैध खनन/ परिवहन में पकड़े गये वाहनों पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। जनपद सिद्धार्थनगर में विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर बिना पंजीकरण किये तथा बिना अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किये अवैध मिट्टी खनन/ परिवहन किये जाने पर प्राविधानित व्यवस्थान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह जनवरी 2023 तक कुल 85 वाहनों को पकड़ा गया तथा उन पर अधिरोपित अर्थदण्ड रू0-41.80 लाख राजकोष में जमा कराया गया।
(ख) क्या निर्माणाधीन घरों की पटाई हेतु पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा अवैध वसूली शुल्क न देने के कारण ये चालान किये गये हैं?	प्रश्न नहीं उठता।
(ग) यदि हाँ, तो चालान के नाम पर लिये गये जुर्माने की उच्चस्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेगे?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।